राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1324/2015/बीकानेर

मैसर्स नेमचन्द, विमलचन्द,
नौखा, बीकानेर। .....अपीलार्थी

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–पंचम, वृत–बी, बीकानेर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री ओ.पी.दौसाया,
कर सलाहकार ....अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा,
उपराजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 26/02/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 50/आरवैट/बीकानेर/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–पंचम, वृत–बी, बीकानेर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 26 के तहत् आरोपित कर राशि रूपये 4,784/– को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी का आलौच्य अवधि 2010–11 का कर निर्धारण दिनांक 01.11.2012 को शुन्य मांग का पारित किया गया था। अपीलार्थी व्यवसायी ने अंतिम स्टॉक राशि रूपये 9,56,835/– के साथ अपना व्यवसाय दिनांक 31.03.2011 से बन्द कर दिया था। इस पर सशक्त अधिकारी ने पुनः कर निर्धारण दिनांक 20.02.2014 पारित करते हुए शेष रहे स्टॉक पर 0.50 प्रतिशत से करारोपण करते हुए मांग राशि रूपये 4784/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.04.2015 द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर मांग राशि को यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवसायी अधिनियम की धारा 3(2) का डीलर है, जिसके द्वारा माल की खरीद राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से वैट चुकाकर की गई थी, इस पर सशक्त अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करते शेष रहे स्टॉक पर 0.50 प्रतिशत से करारोपण किया गया है, जबकि शेष रहे अंतिम स्टॉक की कोई बिक्री नहीं की गई है। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी व्यवसायी ने अपना व्यवसाय दिनांक 31.03.2011 से बन्द कर दिया था, तो यह संभव नहीं हो सकता कि वह अंतिम रहे स्टॉक का विक्रय ना करें या उसे स्वयं उपयोग में ना ले। इस प्रकार व्यवसाय बन्द होने के समय शेष रहे अंतिम स्टॉक पर नियमानुसार वैट चुकाने का दायित्व अपीलार्थी व्यवसायी का था, अतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जावें।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा दिनांक 31.03.2011 को जब अपना व्यवसाय बन्द किया गया था, तो उसके पास अन्तिम स्टॉक के रूप में राशि रूपये 9,56,835/– का माल मौजूद था। इस प्रकार यह संभव नहीं हो सकता कि वह अंतिम रहे स्टॉक का विक्रय ना करें या उसे स्वयं उपयोग में ना ले, तो नियमानुसार अंतिम रहे स्टॉक पर वैट चुकाने का दायित्व अपीलार्थी व्यवसायी का है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य